

// कार्यालय सेनानी, 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल //

क्रमांक-23वीं वाहिनी/विसबल/सा0अ0/पी-2750/ 2020

दिनांक 15/09/2020

सीमित निविदा घोषणा-पत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 23वीं वाहिनी पुलिस हॉस्पिटल हेतु इकाई कल्याण निधि के अंतर्गत 01 नग डेन्टल चेयर मय सहउपकरण के क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त डेन्टल चेयर क्रय करने हेतु सीमित निविदा निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 15.09.2020 को समय 11.30 बजे से आमंत्रित की जाती हैं। सीमित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 24.09.2020 समय 12.30 तक है। फर्मों से प्राप्त तकनीकी निविदायें गठित विभागीय तकनीकी/क्रय समिति के अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 25.09.2020 को समय 12:30 बजे एवं व्यवसायिक निविदा दिनांक 26.09.2020 समय 1700 बजे तक खोली जायेगी। सीमित निविदा की अन्य जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

क्र	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रु०	धरोहर राशि रु०	उपकरण/मशीन का नाम	संपूर्ण कार्य की अवधि	प्रदाय कार्यालय (एफ.ओ.आर.)
1	23वीं वाहिनी पुलिस हॉस्पिटल हेतु 1 नग डेन्टल चेयर मय सहउपकरण के क्रय की जाना है।	500000/	15000/	1- Dental Chair 2- Compressor 1.0 H.P. Oil Free 3- Ultrasonic Scaler 4- LED Light Cure Unit 5- I.O.P.A./X-ray Machine 6- Autoclave (Vertical Loading) 7- UV Chamber 8- Micro Motor with Contra & Sraight Hand Piece 9- Airotor Hand Piece 10- RVG With Computer 11- Extraction Kit:- • Forceps-14 • Elevator-13 • Cross Bar Elevator-2 • Crown Remover with seven Tips1 • Oral Surgery Instrumetns-10 • Conservative Instruments-20	01 माह	सेनानी 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल
	योग	500000/	15000/		-	-

सीमित निविदा की शर्तें:-

- 1- वाहिनी द्वारा दिये गये स्पेसीफिकेशन अनुसार मशीने/उपकरण उपलब्ध कराने होंगे।
- 2- सीमित निविदा में उल्लेखित उपकरण/मशीनो के स्पेसीफिकेशन की प्रतिलिपि कार्यालय सेनानी 23वीं वाहिनी विसबल, भापोल से प्राप्त की जा सकती है।
- 3- सीमित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 24.09.2020 समय 11.30 बजे तक है।
- 4- विभागीय तकनीकी/क्रय समिति के समक्ष उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों के द्वारा उपरोक्त उपकरण/मशीनो का नमूना प्रस्तुत करना होगा। विभागीय तकनीकी/क्रय समिति के निरीक्षण के उपरांत ही उपकरण क्रय करने का निर्णय लिया जावेगा। उपकरण/मशीनो का नमूना निरीक्षण हेतु वाहिनी चिकित्सालय में उपलब्ध कराना होगा।
- 5- यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के दिवस शासकीय अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस में कार्यवाही संपादित की जावेगी।

- 6— प्रदाय आदेश के समय धरोहर राशि (इ0एम0डी0) सेनानी 23वीं वाहिनी विसबल के नाम से जमा करना अनिवार्य हैं। जो प्रदाय आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।
- 7— धरोहर (ईएमडी) 3 प्रतिशत राशि सेनानी 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल के नाम से निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकार न होने की दशा में संबंधित फर्म की 3 प्रतिशत धरोहर राशि वापस की जावेगी।
- 8— निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जमा 3 प्रतिशत धरोहर (ईएमडी) राशि एक वर्ष पश्चात वापस की जावेगी।
- 9— सीमित निविदा प्रस्तुत हेतु तीन या तीन से अधिक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्राप्त होना आवश्यक हैं।
- 10— निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि को गठित समिति एवं निविदाकर्ता फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।
- 11— निविदा की दरें निविदा खोलने की दिनांक से 30 दिवस तक वैध रहेगी।
- 12— प्रदाय अवधि का विस्तार एक ही बार किया जावेगा जो अधिकतम 07 दिवस होगी। यदि निर्धारित कार्य अवधि /विस्तारित अवधि में भी संपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो शेष कार्य का क्रयादेश निरस्त माना जावेगा। कार्य आदेश के भुगतान में से अप्रदायित कार्य के मूल्य की 0.25 प्रतिशत पेनाल्टी कार्य की देयक से काटी जायेगी।
- 13— देयक 03 प्रतिशत में सेनानी, 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल के नाम से भेजे जावें।
- 14— देयक की राशि का भुगतान हेतु फर्म का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जावें।
- 15— विभाग द्वारा किसी प्रकार का भाड़ा वहन नहीं किया जायेगा।
- 16— कार्य देयकों का भुगतान म0प्र0शासन के आदेशों के अन्तर्गत किया जावेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जीएसटी जमा कर पर्ची कार्यालय में जमा कराये।
- 17— निविदाकर्ता प्रथम लिफाफा टेकनीकल विड का एवं द्वितीय लिफाफा फायनेंसियल विड का सील बंद करके निर्धारित तिथि में प्रस्तुत करे एवं लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में सीमित निविदा अवश्य लिखें।
- 18— निविदाकर्ता निविदा की धरोहर राशि, पेन कार्ड, आईडी, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ई.पी.एफ. /इन्कमटेक्स रिटर्न, पंजीयन की छायाप्रति, दुकान स्थापना अधिनियम के तहत प्रमाण-पत्र, ऑथराइजर डीलर का प्रमाण पत्र, गारन्टी/वारण्टी अनुबंध पत्र एवं रिपेयर उपकरणों की मेन्टीनेन्स की अवधि का उल्लेख संबंधी दस्तावेज टेकनीकल विड वाले लिफाफे में सीलबंद करके प्रस्तुत करेगें।
- 19— निर्धारित तिथि में सर्वप्रथम टेकनीकल विड इसके उपरांत फायनेंसियल विड खोली जायेगी। टेकनीकल विड में योग्य पाये जाने वाले निविदाकर्ता को ही फायनेंसियल विड में सम्मिलित किया जायेगा।
- 20— सभी प्रकार के टैक्स जमा करने का दायित्व संबंधित फर्म का होगा।
- 21— सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुबंध पत्र निविदाकर्ता कार्यालय सेनानी 23वीं वाहिनी सामग्री अध्यक्ष शाखा से प्राप्त कर सकते है।
- 22— उपरोक्त समस्त शर्तों में संशय/विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर सेनानी, 23वीं वाहिनी विसबल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

सेनानी
23वीं वाहिनी विसबल
भोपाल